न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 184/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/229
निर्णय दिनांक 31.10.2022

महबूब पुत्र वजीद जाति व्यौपारी निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–प्रार्थी–

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अप्रार्थी–

उपस्थितिः–

1. पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1175/811 तादादी 0.4878 हैक्टेयर रोही जैतासर स्थित है, जो श्रीडूंगरगढ़ रोही के चिपते ही स्थित है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही पूर्वी तरफ खेत खसरा नम्बर 1124/810 तादादी 0.1300 हैक्टेयर रोही जैतासर स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1175/811 तादादी 0.4878 हैक्टेयर रोही जैतासर की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ ने पैमाईश करने हेतु एक टीम का गठन किया, जिसमें श्री सुशील कुमार यादव भू.अ.नि. बाडेला, श्री शंकरलाल जाखड़, पटवारी श्रीडूंगरगढ़, श्री सीताराम नाई पटवारी समन्दसर, श्रीमती सुनिता चौधरी पटवारी जैतासर को शामिल किया गया। पैमाईश टीम ने तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ के आदेश पर मय पुलिस जाब्ता दिनांक 06.03.2022 को मौके पर पैमाईश कर प्रार्थी को सीमाज्ञान करवाया। पैमाईश दल ने प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1175/811 की 0.070 हैक्टेयर भूमि खेत खसरा नम्बर 1124/810 रोही जैतासर में दबी हुई पाई गई। पैमाईश टीम ने मौके की पैमाईश कर फर्द मौका व नजरी नक्शा बनाया। पैमाईश टीम ने प्रार्थी को सीमाज्ञान तो करवा लिया परन्तु प्रार्थी को मौके पर सीमाचिह्न कायम नहीं करवाये, सीमाचिह्न कायम नहीं होने से प्रार्थी अपनी जमीन की बाड़ तारवन्दी नहीं करवा पा रहा है। ना ही पुख्ता सीमा निर्धारित कर पा रहा है। प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1175/811 की 0.070 हैक्टेयर रोही जैतासर की पुख्ता सीमा कायम करना चाहता है, जिसके लिए पत्थरगढ़ी आवश्यक है। यह है कि पैमाईश टीम द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करवाकर मौके पर निशानदेही देकर पत्थरगढ़ी करनी थी, परन्तु पैमाईश टीम ने ऐसा नहीं किया। प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया तो अप्रार्थी ने पत्थरगढ़ी करवाने से इन्कार कर दिया और न्यायालय श्रीमान्जी का आदेश लाने को कहा। पत्थरगढ़ी के अभाव में प्रार्थी के खेत की वास्तविक सीमा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। जिससे प्रार्थी अपने खेत के पड़ोसियों को यह नहीं बता पा रहा है कि उसके खेत की वास्तविक सीमा कहां तक है, पत्थरगढ़ी के अभाव में वास्तविक सीमा निर्धारण नहीं होने से प्रार्थी अपने खेत की तारबन्दी, बाड़ आदि नहीं कर पा रहा है। तारबन्दी बाड़ आदि नहीं होने से आवारा पशु प्रार्थी के खेत में घुसकर नुकसान कारित करते है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया [illegible] अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वो प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 1175/811 [illegible] जैतासर की पत्थरगढ़ी मौके पर पुलिस इमदाद लेकर करवाये।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना [illegible] किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज स्टेट उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपित नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1175/811 रकबा 0.4878 हैक्टेयर रोही ग्राम जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी प्रार्थी की पृथक से दर्ज है। खसरा नम्बर 1175/811 के सीमा चिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अन्यथा मौके के अनुसार प्रार्थीगण/अप्रार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 1000/-रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस कमिशनर प्रार्थीगण द्वारा वहन की जावेगी। विवाद की स्थिति में पुलिस जाब्ता लेकर सीमाज्ञान कर पत्थगढी करवाया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमीलपूर्ति नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

Divya

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.04 11:56:13 IST
Reason: SelfAttested